लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना अल्मोड़ा के माह 04/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/06/2016 से 08/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. प्रथम लेखापरीक्षा

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

3. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

4. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

5. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि रु. में)

वर्ष	योजनागत	आयोजनेत्तर
	आवंटन	व्यय
2012-13	9053289	9053259
2013-14	12306679	12306679
2014-15	11263834	11263834
2015-16	10378469	10378469

भाग 2-ब

प्रस्तर-1 `22.23 लाख का भुगतान वित्तीय नियमों के विपरीत करना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड V भाग 1 के प्रस्तर 307 ए में उल्लखित प्रावधानों में मस्टर रोल भुगतान के सम्बंध में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मस्टर रोल पास कर दिये जाने के पश्चात उस पर भुगतान खर्चे की भांति किए जाए। प्रत्येक भुगतान किए जाते समय उच्च कर्मचारी द्वारा सत्यापित हो, जोकि मस्टर रोल के पादमूल पर प्रत्येक तिथि को भुगतान ki गयी कुल धनराशि को व्यतिष्ठत या समुह में भुगतान को सत्यापित करेंगे। यदि अवशिष्ट मद बिना भुगतान के रह गया हो, तो उसका विवरण बकाया के रजिस्टर भाग-2 में अभिलिखित किया जाएगा।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना अल्मोड़ा, की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012-2013 में RKVY योजना के अंतर्गत 30 टैंकों के निर्माण में 22.23 लाख का व्यय दैनिक श्रमिकों पर दर्शाया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा दर्शाये गए दैनिक श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान करने कि संस्तुति आहरण वितरण अधिकारी को नहीं की गयी थी। और न ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा दैनिक श्रमिकों चिठ्ठों की धनराशियों को पास किया गया था। उसके उपरान्त भी संबन्धित योजना के बैंक खाते से चैकों के द्वारा सीधे लाभार्थी कृषकों को दैनिक श्रमिक चिठ्ठों में दर्शाई गयी धनराशि का भुगतान कर दिया गया था जोंकि वित्तीय नियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।

इस संबंध में पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित कर ही दैनिक श्रामिकों चिठ्ठों का भुगतान किया जाएगा। त्रुटिवश आहरण वितरण अधिकारी द्वारा दैनिक श्रामिकों चिठ्ठों पर भुगतान सत्यापित नहीं किया गया था। संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी से भुगतान सत्यापित करवाकर अगली लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर संतोष जनक नहीं था। क्योंकि किसी भी मजदूर द्वारा दैनिक श्रमिकों चिठ्ठों मे भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं किए गए थे तथा भुगतान करने कि संस्तुति भी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा नहीं की गयी थी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भी व्यय वाउचरों को भुगतान स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। उसके उपरान्त भी शासकीय खातों से चैक द्वारा लाभार्थी कृषकों को भुगतान किया जाना वित्तीय नियमानुसार अनुचित था। जोकि शासकीय धन की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता हैं।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना अल्मोड़ा** को भेजा जाएगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II